

सेवा में,
महाप्रबंधक,
उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय
देहरादून, उत्तराखण्ड

(ईपीएस पेंशन सम्बंधी घोषणापत्र)

महोदय,

Employees Provident Fund Scheme 1952

Regarding Payment of Pension

उपर्युक्त विषयक महोदय को अवगत कराना है कि मुझे वर्तमान में EPFO कार्यालय देहरादून/हल्द्वानी द्वारा ईपीएस मासिक पेंशन का भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। अतएव महोदय से अनुरोध है कि मुझे उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन फण्ड से प्राप्त होने वाली/हो रही मासिक पेंशन की, EPFO कार्यालय से ईपीएस की प्रत्याशा में की जा रही/की जाने वाली मासिक कटौती से विमुक्त रखने की कृपा करने का कष्ट करें।

उक्त के संदर्भ में, मैं घोषणा करता/करती हूं कि यदि भविष्य में मुझे EPFO कार्यालय से ईपीएस पेंशन की प्राप्ति होती है तो मेरे द्वारा ईपीएस पेंशन की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन फण्ड ट्रस्ट के खाते में तत्काल जमा कर दी जायेगी तथा इसकी सूचना/विवरण, पीपीओ की प्रति सहित पेंशन प्रकोष्ठ, प्रधान कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसी तारतम्य में भविष्य में EPFO सम्बंधी किसी भी प्रकार की वसूली यदि की जानी आवश्यक होगी तो मैं बैंक को मेरी मासिक पेंशन से वसूली किये जाने हेतु अधिकृत करता/करती हूं।

उक्त के अतिरिक्त मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि उपवर्णित योजना के अन्तर्गत ईपीएस पेंशन राशि की स्वीकृति हो जाने के पश्चात यदि उक्त पीपीओ या अन्य किसी माध्यम से ईपीएस पेंशन प्राप्ति की पुष्टि होती है तो इस कारण बैंक को होने वाली किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति मेरे मासिक पेंशन से किये जाने हेतु बैंक पूर्णतया हकदार होगा।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

नाम व ईसीओ

पता—

दिनांक—